यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर (राज0)

(पीठासीन अधिकारी कोर्ट)

नाम – पीठासीन अधिकारी – श्री श्रवण सिंह राठौड (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या :– /2024 दायर दिनांक 27.03.2024

फैसल दिनांक 27.03.2024

अनवान

श्री पीरदान पिता खुमानदान चारण **बनाम** भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा

निवासी गामडा चारणिया

(वादी) (प्रतिवादी)

वादी श्री **पीरदान पिता खुमानदान चारण** ने वाद प्रस्तुत कर मौजा **गामडा चारणिया** जमाबन्दी सवंत् 2074–77 के **खाता संख्या 69 एवं 195** में अंकित स्वयं का नाम श्री **पीरूदान पिता खुमानदान चारण** का गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक **26.02.2024** को प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति को होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार (भूमिधारी) सागवाडा की रिपोर्ट दिनांक **19.03.2024** अनुसार प्रार्थी का सही नाम श्री **पीरदान पिता खुमानदान चारण** है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम **श्री पीरूदान पिता खुमानदान चारण** दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है।

प्रार्थी द्वारा स्वंय का सही नाम श्री **पीरदान पिता खुमानदान चारण** होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेंज अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा **गामडा चारणिया** की जमाबन्दी सवंत् 2074–77 के खाता संख्या **69** एवं **195** में खातेदार का अंकित गलत नाम **पीरूदान पिता खुमानदान चारण** में संशोधन कर सही नाम श्री **पीरदान पिता खुमानदान चारण** निवासी गामडा चारणिया दर्ज रेकार्ड किया जावे।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा